

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर..... डी.जी.एस.

(शिविर स्थान..... पडासलपा.....)

आदेश

दिनांक 8-5-23

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी..... उकलडा 5000 लेख
 ...व भू.अ.नि..... डी.जी.एस. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार..... डी.जी.एस.
 नायब तहसीलदार..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम..... उकलडा तहसील..... डी.जी.एस. व
 जिला..... कोटा की जमाबन्दी सम्वत्..... 2074-77 में खाता संख्या..... 263
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>उकलडा</u>	263	<u>रुकमणी बाई</u> <u>पति</u> <u>वापेइमाम</u>	<u>रुकमणी बाई</u> <u>पति</u> <u>वापेइमाम</u>

डी.जी.एस.
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

क्रमांक :- 31

दिनांक :- 8-5-23

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार..... डी.जी.एस. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री..... रुकमणी बाई पति वापेइमाम को सूचनायें।
3. रक्षित पत्रावली

डी.जी.एस.
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर